अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसे आगे ''निगम'' अथवा ''प्रथम पक्ष'' में उल्लेखित किया जावेगा एंव मैसर्स /श्री..................................पुत्र श्री .... पता..निजी बस मालिक अथवा निजी बस मालिक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी श्री ....पुत्र श्री ....पता................................ ....(जिसके मालिक के उत्तराधिकारी, हितधारी असाईनीज, एजेन्ट आदि सम्मलित होगें) जिसे इस अनुबन्ध पत्र में ''द्वितीय पक्ष'' के रुप मे उल्लेखित किया जावेगा, के मध्य पारस्परिक सहमति से बिना किसी दबाब के अंकित एंव निष्पादित किया जाता है। इस अनुबन्ध में वर्णित वाहन स्वामी अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को निगम द्वारा व्यवहार हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा।

इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार निगम, मैसर्स/श्री ——————————————————— द्वारा प्रदत्त की गई वाहन सं0 ————————मॉडल————को राजस्थान राज्य के अन्दर संचालित मार्गो पर यात्री वाहन के रुप में प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा ।

अनुबन्ध की शर्ते निम्न प्रकार हैं :—

1. यह कि बस मालिक श्री ——————————————————पुत्र श्री ————————————————अनुबन्ध पर दी गई बस में स्वयं की ओर से लाईसेन्सधारी चालक नियुक्त करेगा तथा चालक के पूरे खर्चे जैसे वेतन, प्रोविडेन्ट फन्ड, अन्य सभी देयतायें जो श्रम कानून के तहत् देय हैं, द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगी । इसके अतिरिक्त बस के संचालन में होने वाले सम्पूर्ण खर्चे उदाहरणार्थ :— डीजल, तेल, मरम्मत, टूट—फूट, बीमा तथा यात्रियों की सुरक्षा संबंधित समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा ।

   अधिकृत व्यक्ति को वाहन स्वामी के द्वारा नोटेरी पब्लिक से सत्यापित अधिकार पत्र देना होगा एवं अधिकृत व्यक्ति को हटाने पर निगम को सूचना देने का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।

2. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र के माध्यम से जो बस राजस्थान परिवहन निगम को बस संचालन करने हेतु देगा उसकी Comprehensive बीमा पालिसी (जिसमें दंगा, फसाद, युद्ध, बाढ, भूकम्प इत्यादि से होने वाली रिस्क भी शामिल होगी) द्वितीय पक्ष द्वारा भारत की किसी भी अधिकृत बीमा कम्पनी से अनुबन्ध अवधि हित प्रत्येक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के खर्चे पर करवाई जावेगी । इस कम्प्रिहेन्सिव बीमा पालिसी में प्रथम पक्ष निगम जो कि बस का Hirer है, का नाम भी आवश्यक रुप से Benificiary Insurer के रुप में अंकित कराया जावेगा जिससे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बस के कर्मचारियों व बस के यात्रियों व किसी भी सम्पत्ति का कोई भी नुकसान, हर्जाना,ब्याज व क्लेम की राशि की अदायगी की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी द्वारा निगम की ओर से दी जानी सम्मिलित होगी । बस की यह मूल कम्प्रिहेन्सिव बीमा पालिसी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध करवाई जावेगी, जो अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष के आधिपत्य व अधिकार में रहेगी । बस की Comprehensive बीमा पालिसी का नवीनीकरण भी पालिसी में अंकित अंतिम तिथि से एक माह पूर्व बस मालिक द्वारा आवश्यक रुप से करवा लिया जायेगा इस बीमा की समस्त राशि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे पर भारत की अधिकृत बीमा कम्पनी के साथ जमा कर मूल पालिसी प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराई जावेगी। जो अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष के आधिपत्य व अधिकार में रहेगी । द्वितीय पक्ष द्वारा मूल बीमा पालिसी प्रथम पक्ष को न देने व समय पर नवीनीकरण न कराने पर द्वितीय पक्ष की वाहन का संचालन तुरन्त बंद कर अनुबंध समाप्त करते हुये द्वितीय पक्ष की बकाया राशि जब्त कर ली जावेगी ।

   वाहन मालिक अपनी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के नुकसान/हर्जाना के क्लेम व हर्जाने के समस्त दायित्वों की अदायगी के लिये भी इस अनुबंध के उक्त बिन्दु के अनुसार कम्प्रिहेन्सिव बीमा पालिसी में बीमा कम्पनी के उत्तरदायी होने की शर्त अंकित करवायेगा और इस प्रकार दुर्घटना संबंधी कोई दायित्व किसी भी प्रकार का निगम पर नहीं होगा और किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी वाद, क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वाहन मालिक व वाहन की बीमा कम्पनी ही अपने खर्चे पर वकील नियुक्त कर पैरवी की समस्त व्यवस्था करेगा व इस संबंध में निगम को किसी भी प्रकार का व्यय या भुगतान करना पडा तो ऐसी धनराशि वाहन के मालिक व वाहन की बीमा कम्पनी द्वारा ही देय होगी और इस संबंध में वाहन को अनुबंध मुक्त करने से पूर्व व बाद में भी वाहन मालिक को देय राशि में से अथवा बीमा कम्पनी से वसूल करने के लिये निगम सक्षम होगा। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार पर जो राशि व्यय होगी उसका उत्तरदायित्व भी अनुबंध के इस क्लॉज के आधार पर वाहन स्वामी व बीमा कम्पनी का ही होगा । यदि वाहन स्वामी अथवा बीमा कम्पनी द्वारा इस प्रकार व्यय की गई व अन्य देय राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया तो यह राशि निगम द्वारा वाहन स्वामी व बीमा कम्पनी से पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत काबिल वसूल होगी । दुर्घटना के कारण निगम पर आये किसी भी आर्थिक दायित्व की वसूली प्रथम पक्ष द्वारा द्वित्तीय पक्ष को देय इस

अनुबन्ध अथवा अन्य अनुबन्ध अथवा निगम के पास द्वित्तीय पक्ष को देय राशि में से काट ली जावेगी। राशि काटने अथवा समायोजित करने बाद भी निगम को द्वित्तीय पक्ष द्वारा देय राशि शेष रहती हैं तो प्रथम पक्ष वसूल करने के लिए अधिकृत होगा। बीमा कम्पनी से अनुबन्ध अवधि के दौरान दुर्धटना का दायित्व वहन करने की अण्डरटेकिंग लेकर बीमा कवर प्रपत्र के साथ वाहन स्वामी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

3. बस के संबंध में नगरपालिका स्टेण्ड फीस, टोल टैक्स, विशेष पथ कर, परमिट फीस, पर्यटक अनुज्ञा पत्र पर देय कर व अन्य राज्यों को देय कर का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। रोड टैक्स व सर्विस टैक्स तथा अन्य कोई भी कर जो वर्तमान में लागू है अथवा भविष्य में लागू हो, की देयता बस मालिक की होगी।

4. द्वितीय पक्ष की अनुबन्धित की हुई वाहन के संचालन हेतु परिचालक की नियुक्ति निगम द्वारा की जावेगी तथा निगम द्वारा नियुक्त परिचालक यात्रियों को टिकिट जारी करने, किराया वसूल करने, यात्रियों को वाहन में बैठाने/उतारने तथा निगम द्वारा निर्धारित बस स्टाप पर गाडी को रोकने व समय सारिणी के अनुसार वाहन का संचालन कार्य करेगा । उक्त परिचालक को टिकट, वे–बिल व अन्य स्टेशनरी निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी ।

5. अनुबन्धित वाहन के चालक को प्रत्येक निर्धारित बस स्टेन्ड पर रोककर डीएसए प्राप्त करना होगा । यदि बुकिंग के डीएसए प्राप्त नहीं करता है तो प्रति बुकिंग स्टेन्ड डीएसए रुपये 50/– की वसूली द्वितीय पक्ष को देय भुगतान में से की जावेगी ।

6. यदि वाहन किसी विषम परिस्थिति में बिना परिचालक ऑन डी.एस.ए. संचालित कि जाती हैं तथा वाहन में बिना टिकिट यात्री पाये जाते हैं तो द्वितीय पक्ष इसके लिये पूर्ण रूपेण दोषी माना जावेगा तथा प्रत्येक बिना टिकिट यात्री के यात्री किराये की दोहरी राशि मय प्रति बिना टिकिट यात्री एक हजार रूपये शास्ति राशि की वसूली द्वितीय पक्ष को देय भुगतान से की जा सकेगी । इसमें द्वितीय पक्ष का कोई बचाव/कथन स्वीकार नही होगा ।

.7. द्वितीय पक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वाहन को पूर्णतया चालू हालत में रखे वाहन की सफाई तथा मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/संबंधित आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणी की सीटे सुन्दर और साफ हालत में रखें । वाहन में टूल बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, स्टेपनी आदि रखेगें तथा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लेखित नियमों में निर्दिष्ट सभी प्रकार के उपकरणों की सफाई तथा अन्य ऐसे समस्त खर्चे जो वाहन को सही हालत में रखने के लिये आवश्यक है वाहन स्वामी को ही वहन करने होंगे ।

8. वाहन स्वामी को स्वयं का एक लाख रूपये की इन्डेमिनिटी बोण्ड 100/– रूपये (अक्षरे एक सौ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरकर देना होगा जो वाहन के अनुबंध पर रहने तक की अवधि के लिये मान्य रहेगा ।

9. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बस की बॉडी सीटो की बनावट एवं सीटो की स्थिति निगम की निर्धारित डिजाईन के अनुरूप होना आवश्यक होगा। वाहन का निरीक्षण आगार/मुख्यालय की निरीक्षण कमेटी द्वारा किया जावेगा ।

10. वाहन के चालक व मालिक दोनों को निगम अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन करना होगा । समय समय पर निगम द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों की जानकारी प्राप्त करने एंव उनकी अनुपालना करने का उत्तरदायित्व निजी वाहन स्वामी का स्वयं का होगा। आदेशों/ निर्देशों एंव अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना करने पर एवं नोटिस के बावजूद सुधार नही करने पर वाहन को संचालन से हटाया जा सकेगा तथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा ।

11. वाहन के चालक को परिचालक के ऐसे सभी आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा जो उसे निगम के द्वारा जारी निर्देशों के अर्न्तगत हो जो नियमार्न्तगत वाहन संचालन हेतु आवश्यक हैं।

12. यदि वाहन स्वामी द्वारा शर्त 14 के अर्न्तगत वाहन माह में कुल 3 दिन एंव एक बार एक दिन से अधिक समय के लिए बिना मुख्य प्रबन्धक की स्वीकृति के हटाई जाती है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह इस वाहन के स्थान पर निगम की वाहन से निर्धारित सेवा का संचालन अनुबन्धित वाहन स्वामी के खर्चे पर रिस्क एवं कास्ट पर करें, जिसके लिए निगम द्वारा वाहन के प्रबंध करने एवं संचालन से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति वाहन स्वामी के बिल से की जावेगी जिसके लिये वाहन स्वामी द्वारा संबंधित माह के लिए प्रतिदिन अनुपातिक दर से देय एस.आर.टी. के साथ साथ 1000/– रुपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति राशि निगम को देय होगी, जो उसके मासिक बिल में से काट ली जायेगी ।

13. वाहन स्वामी वाहन के अंदर या बाहर अनुबंध के दौरान किसी प्रकार का कोई विज्ञापन अपने स्तर पर नहीं छपवायेगा परन्तु निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित वाहन के अंदर या बाहर विज्ञापन छपवा सके एवं उससे होने वाली आय निगम की होगी ।

14. द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार जिस दिन से निगम को संचालन हेतु वाहन उपलब्ध करायेगा उस दिन से प्रत्येक माह में अधिकतम तीन दिन के लिए यांत्रिक मरम्मत व टूट–फूट एंव अन्य किसी भी कार्य, जो वाहन को सही स्थिति में करने के लिए आवश्यक हो, आगार प्रभारी की 24 घन्टे पूर्व सहमति से वाहन को मार्ग से हटा सकेगा लेकिन मार्ग से एक बार वाहन हटाने पर एक दिन (24 घन्टे) से अधिक वाहन को अलग नहीं रखा जा सकेगा । दूसरे शब्दों में मरम्मत आदि से हटाये जाने के बाद 24 घन्टे के अन्दर वापस मार्ग पर संचालन हेतु उपलब्ध करानी होगी ,अन्यथा अनुबन्ध के अनुच्छेद 12 के अर्न्तगत कार्यवाही की जावेगी । इसके अलावा एक कलेण्डर माह में यदि द्वितीय पक्ष की वाहन माह में किसी भी अन्य कारण से संचालन से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहती है तो समस्त अनुपस्थित अवधि के लिये शर्त सं0 12 के अन्तर्गत एसआरटी. व क्षतिपूर्ति राशि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी ।

15. वाहन की सामयिक मरम्मत/रखरखाव आदि की अवधि या कि.मी. पूर्व में ही निर्धारित होगें तथा इन दिनों की निश्चित सूचना संबंधित आगार प्रभारी को अनुबन्ध प्रभावी होने के साथ साथ ही देनी होगी । ऐसे निर्धारित दिन पर वाहन के मालिक द्वारा संबंधित आगार प्रभारी को कम से कम 24 घन्टे पूर्व सूचित करना होगा ।

16. जिन दिनों बस संचालन से हटाई जावेगी उन दिनों के लिए वाहन मालिक को निगम द्वारा वाहन का किराया अथवा किसी प्रकार की राशि देय नही होगी ।

17. यदि द्वितीय पक्ष अपनी वाहन को भारी मरम्मत के लिए एक दिन से अधिक की अवधि के लिए हटाना चाहता है तो प्रथम पक्ष को दो दिन पूर्व लिखित में वाहन को हटाने का नोटिस देना अनिवार्य है । ऐसी अवधि अधिकतम शर्त सं0 14 में वर्णित तीन दिन के अतिरिक्त सात दिन की हो सकती है तथा तीन दिन को सम्मिलित करते हुए मरम्मत के लिए अवकाश की अवधि अधिकतम 10 दिवस की हो सकती है । इस हेतु मुख्य प्रबन्धक सहमति देने हेतु सक्षम होगें । इस अवकाश अवधि की आनुपातिक एस.आर.टी. राशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ,परन्तु धारा 12 में वर्णित क्षतिपूर्ति वाहन स्वामी से वसूल नही की जावेगी । दस दिवस से अधिक अवधि की दशा में एस.आर.टी. के साथ साथ शर्त–12 में वर्णित क्षतिपूर्ति भी वसूली योग्य होगी ।

18. अनुबंधित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में 24 घण्टे के अंदर दुर्घटना की सूचना मय दुर्घटना प्रमाण के द्वितीय पक्ष द्वारा संबंधित मुख्य प्रबंधक को देनी होगी । इसके साथ ही 3 दिवस के अन्दर–अंदर अनुबंधित वाहन को मरम्मत पश्चात् संचालन हेतु उपलब्ध कराने की दिनांक बाबत् मुख्य प्रबंधक को लिखित में सूचित करना अनिवार्य होगा । यदि वाहन को उपलब्ध कराने की सूचना 3 दिवस में प्रथम पक्ष को नहीं दी जाती है तो प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंधित वाहन के संचालित नहीं होने की अवधि के लिये अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 12 के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि एवं एसआरटी की राशि प्रतिदिन की दर से द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

दुर्घटना की स्थिति में वाहन को मरम्मत हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा यदि वाहन को रोका जावेगा तो अधिकतम 15 दिवस की अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु संबंधित मुख्य प्रबंधक सक्षम अधिकारी होंगे तथा इससे अधिक अवधि के लिये कार्यकारी निदेशक (यातायात) सक्षम अधिकारी होंगे । परन्तु इस प्रकार के समस्त अवकाश स्वीकृति के लिये दुर्धटना के पुख्ता प्रमाण आवश्यक होंगे जैसे कि एफ.आई.आर. की प्रति, बीमा क्लेम, भारी मरम्मत का बिल आदि । ऐसे स्वीकृत अवकाश की अवधि की एसआरटी. राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी परन्तु शर्त संख्या 12 के तहत वर्णित शास्ति/क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं की जावेगी ।

19. द्वितीय पक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वाहन को बस स्टेन्ड अथवा निर्धारित स्थान पर संचालित समय से आधा घन्टा पूर्व प्रस्तुत करें । निगम के अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह वाहन का एंव वाहन के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धि का निरीक्षण कर सके । यदि वाहन प्रस्थान समय से आधा घन्टा पूर्व बस स्टेन्ड पर नही पहुॅचती है तो प्रति 20 मिनट तक विलम्ब के लिये 100/– रूपये की क्षतिपूर्ति राशि निगम को देय होगी एवं 20 मिनट विलम्ब के पश्चात् वाहन को संचालन के लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी । यदि अनुबंधित वाहन अपने निर्धारित समय से अपना अनुसूचित परिचक्र पूर्ण नहीं करती है अर्थात् गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुॅचती है तो द्वितीय पक्ष ऐसे विलम्ब समय के लिये शास्ति रूपये 150/– प्रथम पक्ष को देने के लिये

बाध्य होगा । यह राशि उसको देय भुगतान में से काटी जावेगी । यदि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होता है तो परिचालक के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रथम पक्ष ऐसी शास्ति को निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा ।

20. डीजल मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव पडने पर अनुबन्धित वाहनों की किराया दर में आनुपातिक परिवर्तन निगम द्वारा कर दिया जावेगा। इसके लिए डीजल खपत 5.50 किमी0 प्रति लीटर मानी जावेगी।

21. अनुबन्ध की अवधि में द्वितीय पक्ष वाहन को बिना निगम की पूर्वानुमति के स्थानान्तरित, हस्तानान्तरित अथवा विक्रय नही कर सकेगा और न ही अन्य कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जिसका प्रभाव निगम के हितों के विरुद्ध हो । इसकी पालना न करने पर अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जावेगा तथा निगम को देय राशि वाहन स्वामी की बकाया राशि/बैंक गारण्टी से अथवा पी.डी.आर. एक्ट के अर्न्तगत वसूल कराई जा सकेगी ।

22. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी, दस्तावेजों में कोई कमी/दोष तथा चालक से संबंधित किसी कमी से निगम को होने वाली हानि के लिए निजी वाहन स्वामी जिम्मेदार होगा । इस संबंध में वाहन स्वामी को अपनी वाहन का द्वितीय चार्ज निगम के पक्ष में संपादित करना होगा तथा उस चार्ज से वाहन तभी मुक्त किया जावेगा जबकि निगम को वाहन मालिक से किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नही करना होगा जिसके लिए वह निगम से नो–डयूज सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा ।

23. अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षों का यह अधिकार होगा कि वह एक माह की पूर्व सूचना देकर इस अनुबंध को निरस्त कर दें परन्तु प्रबंध निदेशक को यह अधिकार होगा कि ऐसी सूचना की अवधि 30 दिवस के लिये बढा सकें । निगम को अनुबंध निरस्त कियेजाने का कारण देना आवश्यक नहीं होगा परन्तु यदि वाहन स्वामी समय से पूर्व अनुबंध समाप्त करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभू राशि अनुबंध शर्त 41 के अनुसार निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी ।

24. निगम अनुबन्धित वाहन को आवंटित अनुसूचित सेवा के आधार पर संचालन किमी0 प्रति दिन संचालित कर सकेगा। लम्बे मार्गो की बसों को द्वितीय वर्ष से कम किमी0 पर चलाया जायेगा। इसके लिये वाहनों की भौतिक स्थिति के अनुसार शिड्यूल का आवंटन संबंधित मुख्य प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। यह शर्त आगार अथवा निगम के कर्मचारियों के हडताल पर चले जाने अथवा किसी प्राकृतिक संकट के समय अथवा किसी स्थान पर कानून एंव व्यवस्था से उत्पन्न स्थितियों अथवा ऐसे किसी कारण, जो निगम के नियन्त्रण में न हो, से संचालन में होने वाले व्यवधान की स्थिति में लागू नही होगी । आगार प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वह निगम हित में वाहन को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित से अधिक परिचक्र संचालित कर सके परन्तु ऐसे अधिक संचालन के कारण आवन्टित अनुसूचित सेवा का निरस्तीकरण या विलम्ब से प्रस्थान स्वीकार्य नही होगा । विषम परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष की वाहन का संचालन भी बिना पूर्व सूचना के बन्द किया जा सकेगा और इसके लिए कोई भुगतान देंय नही होगा ।

25. द्वितीय पक्ष की वाहन निगम द्वारा आवन्टित मार्ग अथवा शिडयूल पर ही चल सकेगी । इसके अतिरिक्त वाहन का प्रयोग वाहन मालिक द्वारा अन्यत्र नही किया जा सकेगा । यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करते पाया गया तो निगम को अधिकार होगा कि वह बिना सूचना दिये अनुबन्ध निरस्त कर दे । बकाया देय राशि जब्त कर ले अथवा द्वितीय पक्ष को ''ब्लेक लिस्ट'' कर दे ।

26. मुख्य प्रबन्धक द्वारा वाहन का संचालन किसी भी मार्ग पर किया जा सकेगा, जिस पर द्वितीय पक्ष किसी प्रकार की आपति नहीं करेगा।

27. निगम द्वारा अनुबंध पर ली गई वाहन के प्रतिदिन संचालित कि.मी. का किराया समय–समय पर निर्धारित दर से देय होगा। निगम को यह अधिकार होगा कि वाहनों का किराया घटा/बढा सकेगा। इस कमी/वृद्धि से सहमत न होने पर वाहन स्वामी एक माह का नोटिस देकर अपनी वाहन अनुबंध से हटा सकेंगे परन्तु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का दावा कर सकेगा ।

28. किराये की राशि का भुगतान बस संचालन पर देने के बाद हर पखवाडे किया जावेगा बशर्ते वाहन स्वामी अपने बिल महीने के प्रथम पखवाडे व द्वितीय पखवाडे के क्रमशः 17 व 2 तारीख को प्रस्तुत कर देगा । देय राशि का भुगतान अगले एक सप्ताह में कर दिया जावेगा । भुगतान संबंधित आगार के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी द्वारा ही एकाउन्ट पेई क्रोस चैक/डीडी द्वारा वाहन स्वामी को देय भुगतान से डी.डी./चैक का कमीशन काटकर वाहन स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को जिसके नमूना हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिगनेचर)

संबंधित मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित हो, तो ही किया जावेगा लेकिन एकाउन्ट पेई क्रास चैक/डी.डी. हर स्थिति में वाहन स्वामी के नाम का ही होगा । भुगतान संबंधी कार्यवाही संबंधित आगार द्वारा ही की जावेगी ।

29. अनुबंध अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष होगी, जिसे दोनों पक्षो की सहमति से एक–एक वर्ष के लिये बढाया जा सकेगा। परन्तु अनुबन्ध की अधिकतम अवधि सात वर्ष होगी। अनुबन्ध का प्रारम्भ कलेन्डर माह की प्रथम तिथि से किया जावेगा व समापन अंतिम तिथि को ही किया जा सकेगा। वाहन स्वामी की किसी त्रुटि, वाहन की यॉत्रिक स्थिति, संचालन संबंधी त्रुटि, अंकित अनुबन्ध की किसी शर्त के उल्लंघन के कारण यदि अनुबन्ध माह के मध्य की तिथि में समाप्त होता है तो माह के शेष दिवसों की एसआरटी का भुगतान द्वित्तीय पक्ष की ओर से निगम को देय होगा और यह राशि बकाया भुगतान से वसूल की जा सकेगी ।

30. यदि कोई वाहन मार्ग में ब्रेकडाउन हो जाती है एवं अपने परिचक्र को पूर्ण नही कर पाती है तो उस वाहन द्वारा तय किये गये कि.मी. का भुगतान ही देय होगा। लेकिन दूसरे दिन भी अपने शिडयूल पर वाहन उपलब्ध नही कराने पर समय से पूर्व रेस्ट स्वीकार कराना होगा अन्यथा वाहन को अनुपस्थित मानकर अनुच्छेद 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जावेगी। इस प्रकार मार्ग में ब्रेकडाउन माह में एक बार ही स्वीकार किया जावेगा । दूसरी बार ब्रेकडाउन होने पर उस शिडयूल के तहत संचालित कि.मी. का भी भुगतान नही किया जावेगा तथा दूसरे दिन शिडयूल पर वाहन उपलब्ध न कराने पर वैकल्पिक व्यवस्था निगम द्वारा वाहन मालिक की 'रिस्क एण्ड कोस्ट' पर की जावेगी तथा अनुबन्ध के बिन्दू 12 के अनुसार शास्ति भी वसूल की जावेगी ।

31. मार्ग में यदि निगम की स्वयं की वाहन या निगम की अन्य कोई अनुबन्धित वाहन ब्रेकडाउन अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उस वाहन के यात्रियों को अनुबन्धित वाहन से भेजने का अधिकार निगम को अथवा उसके कर्मचारी को होगा । अतिरिक्त यात्रियों के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा देय नही होगा लेकिन यात्री न उठाने की शिकायत पर निगम अनुबन्धित वाहन को अनुबन्ध से हटा सकेगा तथा भविष्य के लिए उस वाहन को तथा उस वाहन मालिक के अन्य वाहन को निगम द्वारा अनुबन्धित नही किया जावेगा ।

32. आगार प्रभारी अथवा निगम मुख्यालय द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुबन्धित वाहन के संचालन संबंधित समय सारिणी में परिवर्तन कर सकेगा तथा इस संबंध में ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा । आदेशों की अवहेलना करने पर आगार प्रभारी ऐसे वाहन के संचालन को बन्द कर सकेगा । वाहन पुनः निगम मुख्यालय के आदेशों से ही संचालन में वापिस ली जा सकेगी ।

33. इस अनुबन्ध को पंजीबद्ध करवाने संबंधित 100/– के नोन ज्यूडिस्यिल स्टाम्प पेपर फीस व अन्य सभी प्रकार के व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किये जावेगें ।

34. यदि अनुबन्धित वाहन का मालिक अथवा वाहन चालक किसी भी अवांछित कार्य में लिप्त अथवा उससे संबंधित पाया गया तो अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ साथ निगम बिना पूर्व सूचना दिये अनुबन्ध निरस्त कर सकेगा ।

35. आयकर संबंधी नियमों के अर्न्तगत द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले किराये की राशि में से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आयकर संबंधित आगार प्रभारी द्वारा किराये का भुगतान करते समय काटा जावेगा । यदि द्वितीय पक्ष संबंधित आयकर अधिकारी से आयकर न काटने के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो ऐसे निजी वाहन मालिकों से आगार प्रभारी आयकर नही काटेगें ।

36. बस पर लिए गये कर्ज / ऋण एंव अन्य समस्त देनदारियों एंव अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के लिए वाहन स्वामी स्वयं ही जिम्मेदार है, निगम इसमें कोई मध्यस्थ नही है ।

37. ''राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबन्धित '' शब्द वाहन संचालन से पूर्व वाहन के दोनो तरफ चार इन्च के मोटे अक्षरों में लिखवाने होगें । इसके अतिरिक्त वाहन के अग्रभाग (विन्डस्क्रीन) की बॉई दिशा में आगार का नाम, मार्ग का नाम, परिचक्र की समय सारिणी तथा अन्य शब्द जो निगम के नियमानुसार वाहन के किसी भी भाग पर लिखवाना आवश्यक समझा जावे, लिखवाने होगें । इस पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष को ही वहन करना होगा । द्वितीय पक्ष को निगम द्वारा निर्धारित डेस्टीनेशन बोर्ड आवन्टित सेवा के मार्ग के लिए अपने व्यय से बनवाना होगा । अनुबन्ध समाप्त होने पर वाहन का कलर स्कीम एवं उक्त लिखावट अन्तिम भुगतान से पूर्व परिवर्तित कराने(हटाने) का दायित्व वाहन स्वामी का होगा । यदि वाहन स्वामी द्वारा संतोषप्रद रूप से इसे नही परिवर्तित किया गया तो द्वित्तीय पक्ष की लागत पर निगम द्वारा करा दिया जावेगा।

38. अनुबन्धित वाहन के साथ हेल्पर को भी चलने दिया जावेगा जब कि आगार प्रभारी से नियमानुसार पोर्टर का लाईसेन्स प्राप्त करले । लाईसेन्स पर हेल्पर को फोटो चित्र लगाना होगा जो मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जावेगा, ऐसे हेल्पर को पोर्टर के सभी कार्य करने होंगे , परन्तु हेल्पर को इससे अतिरिक्त किसी कार्य को करने का अधिकार नही होगा हेल्पर किसी भी यात्री से किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त नही कर सकेगा ।

39. निगम द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के नोटिस दस्तावेज तथा अन्य की जाने वाली कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा निगम के अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

40. राज्य सरकार के यातायात विभाग/मोटर गैरेज द्वारा निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद भी प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा द्वितीय पक्ष के वाहन का निरीक्षण कराने का सर्वाधिकार निगम का सुरक्षित है ।

41. प्रत्येक अनुबन्धित वाहन की निर्धारित प्रतिभू राशि प्रति वाहन 15000/— रु व डीलक्स वाहन के लिये 25000/— रूपये होगी जो वाहन स्वामी को निगम कोष में जमा करानी होगी जिसे अनुबन्ध से मुक्ति पर मूल रसीद एवं नो—ड्यूज प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना संबधित कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नही होने का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने की स्थिति में ही निम्न शर्तों पर लौटाई जा सकेगी :—
अनुच्छेद 29 में वर्णित प्रथम अवधि के साथ साथ समय पर बढाई गई अवधि पूर्ण होने पर ही प्रतिभू राशि नो—ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् लौटायी जायेगी ।

42. निगम द्वारा वाहन की शिकायत या यांन्त्रिक, बॉडी एवं सीटो की स्थिति खराब होने पर यदि द्वितीय पक्ष उसमें सुधार नही करवाता है तो निगम बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध समाप्त कर वाहन हटा सकेगा एवं इससे हुये नुकसान की भरपाई वाहन स्वामी के बिल से निगम द्वारा कर ली जावेगी ।

43. निगम आगार, केन्द्रीय कार्यशाला व टायर प्लान्ट में आवश्यकतानुरूप टायर ले जाने व लाने के लिये द्वितीय पक्ष की वाहन को उपयोग में लिया जा सकेगा । टायर लाने व ले जाने में निगम के परिचालक व अनुबन्धित वाहन के चालक दोनों ही समान रूप से जिम्मेवार होंगे ।

44. द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के अपनी वाहन में सीटें बढाने, कम करने आदि का कोई परिवर्तन नहीं करेगा ।

45. द्वितीय पक्ष पर जारी किये जाने वाले नोटिसों की तामील पूर्ण समझी जायेगी । यदि ऐसे नोटिस अनुबन्धित वाहन के चालक अथवा मालिक को दिया जावे अथवा रजिस्ट्री के जरिये द्वितीय पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पते पर जो निगम कार्यालय में उपलब्ध हो, भेजे जावे, द्वितीय पक्ष या उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रुप से कोई पत्र लेने से इन्कार करने की स्थिति में वाहन संचालन से हटाने के लिए निगम अधिकृत होगा ।

46. द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये नोटिसों की तामील निगम पर तब ही पूर्ण समझी जावेगी जबकि ऐसे नोटिस की रसीद निगम के संबंधित अधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी कर दी जाती है अथवा प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रजिस्ट्री के जरिये नोटिस भेज दिया जाता है लेकिन न्यायिक प्रकरण में नोटिस टेलीग्राम (तार) से तभी मान्य होगा जब इसमें पूर्ण विवरण सहित आशय स्पष्ट हो व निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति ने प्राप्त किया हो ।

47. यदि अनुबन्ध के कियान्वयन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष निगम के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित अधिकरी पंच निर्णायक होगें एवंम् पंच निर्णायक का निर्णय विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को बाध्यकारी एवं अन्तिम होगा, कोई भी पक्ष मामले को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किये बिना किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकेगा।

48. उपरोक्त अनुबन्ध में अंकित प्रावधानों व शर्तो की स्वीकृति मानते हुए दोनो पक्ष आज दिनांक ————————————— को हस्ताक्षर अंकित करते हैं ।
यह अनुबन्ध स्वेच्छा से बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश—हवास से निष्पादित किया है ।

हस्ताक्षर मुख्य प्रबंधक	हस्ताक्षर वाहन स्वामी
गवाह :	गवाह:
1.	1.
2.	2.